न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

मु0नं0 - 37/2021 (2021/113)

1. राजकुमार पुत्र सोहनलाल जाति स्वामी निवासी वार्ड नं0 17 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. तरूण पुत्र सुरेश कुमार जाति स्वामी निवासी वार्ड नं0 17 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र जानकीदास जाति स्वामी निवासी वार्ड नं0 17 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सोहनलाल पुत्र रामचन्द्र पुत्र जानकीदास जाति स्वामी निवासी वार्ड नं0 17 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. सुरेश कुमार पुत्र रामचन्द्र पुत्र जानकीदास जाति स्वामी निवासी वार्ड नं0 17 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. सुमित्रा देवी पुत्री रामचन्द्र पुत्र जानकीदास जाति स्वामी निवासी वार्ड नं0 17 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. मन्जु देवी पुत्री रामचन्द्र पुत्र जानकीदास जाति स्वामी निवासी वार्ड नं0 17 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. इन्द्रा देवी पुत्री रामचन्द्र पुत्र जानकीदास जाति स्वामी निवासी वार्ड नं0 17 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. रश्मी देवी पुत्री रामचन्द्र पुत्र जानकीदास जाति स्वामी निवासी वार्ड नं0 17 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. राजस्थान सरकार जरिये लैन्ड होल्डर तहसीलदार भादरा।
9. राजलक्ष्मी पुत्री सोहनलाल
10. चांदनी पुत्री सुरेश कुमार

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थिति : वकील श्री लिलाधर अग्रवाल एवं श्री नरेन्द्र पचार
: वादीगण
वकील श्री नरेन्द्र सिहाग : प्रतिवादी सं0 1 ता 7

निर्णय दिनांक : 27/9/21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ढाणी स्वामीयान की कृषि भूमि पटवार हल्का भांगवा खाता सं0 28/26 खसरा सं0 22 की 4.856 खसरा सं0 54 की 2.403 है0 खसरा सं0 55 की 4.7800 कुल खसरा 3 कुल रकबा 12.039 बारानी वर्तमान में प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2050 खाता सं0 16/16 वादीगण के परदादा जानकीदास वल्द भगवानदास के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी प्रतिवादी सं0 1 को विरासत में प्राप्त हुई जिसमें वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 व 3, 4 ता 6 का जन्म से हक व हिस्सा बहिस्सा बराबर निहित है। वाद भूमि को वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 व 3 बहिस्सा बराबर

उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

काश्त करते हे। प्रतिवादी सं0 1 वृद्ध हो चुका है व प्रतिमाह पेशन प्राप्त होती है जिससे प्रतिवादी सं0 1 किसी प्रकार की जमीन पर आश्रित नहीं है व अपना हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 व 3 को बहिस्सा बराबर तर्क कर दिया उसी अनुसार भूमि को काश्त करते है। प्रतिवादीयागण सं0 4 ता 7 विवाहित है उन्होने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा अपने भाइयों के पक्ष में त्याग कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 8 को वकील वादी ने तर्क किया।

साक्ष्य वादीगण में वादी राजकुमार के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्य चित्रप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम ढाणी स्वामीयान खाता सं0 28/28 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ढाणी स्वामीयान सम्वत् 2047 प्रदर्श 2, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र जानकीदास प्रदर्श 3, सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 4, मृत्यु प्रमाण पत्र कृष्णा देवी प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने जाहिर किया कि वाद भूमि वादी के परदादा जानकीदास की हुआ की करती थी जिनकी मृत्योपरान्त प्रतिवादी सं0 1 को विरासत में प्राप्त हुई है। वाद कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के साथ साथ वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज़ात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हस्तगत वाद वादीगण ने ढाणीस्वामीयान के राजस्व रिकार्ड में अपने दादा के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादीगण के अपने दावा में अंकित किया है कि वाद कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 को अपने पिता अर्थात् वादीगण के परदादा से विरासतन प्राप्त हुई है जिसकी पुष्टि में वादीगण ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ढाणी स्वामीयान सम्वत् 2047 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है जिसमें वाद कृषि भूमि वादीगण के परदादा जानकीदास वल्द भगवानदास के नाम दर्ज रिकार्ड है जिससे वाद कृषि भूमि वादीगण की दादालाई होना एवं प्रतिवादी सं0 1 को विरासतन प्राप्त होना साबित है एवं सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 में रामचन्द्र के सदस्यों में पत्नि कृष्णा देवी (फौत), दो पुत्र सोहन लाल एवं सुरेश कुमार व चार पुत्रियां सुमित्रा देवी, मंजू देवी, इन्द्रा देवी एवं रश्मी होना व इनके अलावा अन्य कोई सदस्य नहीं होना अंकित है एवं अपने शपथ पत्र में सोहनलाल ने अंकित किया है कि उसके वारिसान में एक पुत्र राजकुमार व एक पुत्री राजलक्ष्मी तथा उसकी भाई सुरेश के वारिसान में एक पुत्री तरूण व एक पुत्री चांदनी है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

अत : वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ढाणी स्वामीयान की कृषि भूमि पटवार हल्का भांगवा खाता सं0 28/26 खसरा सं0 22 की 4.856 है0 खसरा सं0 54 की 2.403 है0 खसरा सं0 55 की 4.7800 है0 कुल खसरा 3 कुल रकबा 12.039 है0 बारानी वर्तमान में प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में वादीगण प्रत्येक 1/6–1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 प्रत्येक 1/3–1/3 के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं0 1, 4 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में तथा प्रतिवादिया सं0 9 व 10 ने अपने पिता पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादी सं0 1 रामचन्द्र का नाम वाद कृषि भूमि के रिकार्ड से कलमजन किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27/9/21..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
R.A.S.
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़